पत्र संख्या : ब/4702 यो०ज०सं०-09/12 ......277.........

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ प्रबंध निदेशक;
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम (लि॰),
(झालको), राँची,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 30-03-13

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200101200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल, उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण/ 50P470200101200543	**10.00**
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस लाख मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध **रू॰ 380.00 लाख (तीन करोड अस्सी लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
7. अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल-3 एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी०सी० निगम)
सहायक अभियंता	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव

9. आवंटित राशि के 70% का उपयोगित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर हीं शेष राशि आवंटित की जायेगी।
10. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰ एल॰ खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाऐगा।
17. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2012–13 में निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा।
18. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
19. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण** 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 277 रॉची, दिनांक :– 30-03-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 277 रॉची, दिनांक :– 30-03-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस॰ के॰ शतपथी)**
सहायक अभियंता	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**प्रधान सचिव**

विशेष सचिव

विभागीय पत्रांक 277 दिनांक 20-03-13 का अनुलग्नक परिशिष्ट –I 1/1

मॉग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष –4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल ।
उप शीर्ष –20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन।
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण ,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण
विपत्र कोड–50P0470200101200543

वित्तीय वर्ष 2012–13 में तृतीय अनुपूरक बजट के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध ₹ 380.00 लाख (तीन करोड अस्सी लाख) मात्र।

(राशि लाख रूपये मे)

क०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटित राशि			अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रबंध निदेशक झालको	रामगढ़	चितरपुर	माईल	ललकी तालाब का जीर्णोद्धार।	74/11–12 प्र०स्वी० दिनांक–31.03.12	11.320	11.320	10.000	182.780	
		रामगढ़	चितरपुर	छोटकी लारी	नावा पोखर का जीणोद्धार		15.190	7.600			
		हजारीबाग	चौपारण	बेघना	बेघना पोखर का जीर्णोद्धार		8.740	8.740			
		हजारीबाग	बरही	उजैन	बड़का आहर का जीर्णोद्धार		16.890	8.450			
		हजारीबाग	बड़कागांव	पचंडा	पचंडा तालाब का जीर्णोद्धार।		11.630	5.820			
		हजारीबाग	ईचाक	डुमरौन	हरगुड्डा तालाब का जीर्णोद्धार		24.920	24.920			
		हजारीबाग	ईचाक	भुसुवा	हेठली आहर–तालाब का जीर्णोद्धार		24.98	24.980			
		धनबाद	गोविन्दपुर	कोरेयाटॉड़	कोरेयाटॉड़ तालाब का जीर्णोद्धार।		22.000	11.000			
		बोकारो	चास	गोपालपुर	हेठबंधा और उपर बँधा तालाब का जीर्णोद्धार।		22.000	11.000			
		बोकारो	चास	बाबुडीह	नूतन बॉध का जीर्णोद्धार।		22.000	11.000			
		बोकारो	चंदनकियारी	लंका	पुराना बॉध का जिर्णोद्धार।		20.157	10.080			
		बोकारो	चास	चाकुलिया	चाकुलिया विष्णु बॉध का जीर्णोद्धार		15.000	7.500			
		मेदिनीनगर	पाटन	टंडवा	कलहवा आहर का जीर्णोद्धार।		19.640	9.820			
		मेदिनीनगर	हुसैनाबाद	देवड़ीकला	बैनतदाही तालाब का जीर्णोद्धार		13.000	6.500			
		हजारीबाग	चौपारण	डोमापहाड़ी	कोन मेकहा तालाब का जीर्णोद्धार		13.825	6.910			
		गढ़वा	रमकण्डा	रमकण्डा	पुकार तालाब का जीर्णोद्धार		14.285	7.140			
						योग	275.577	172.780	10.000	182.780	

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ दस लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

3. ... लाख) मात्र के ... पश्चात संशोधि...